का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/3/90-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 26 नवम्बर, 1990

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के अनुवाद व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन (खंड-1) में की गई सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने अनुवाद से संबंधित विषय पर अपना प्रतिवेदन जनवरी, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया इनमें की गई सिफारिशों पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों

व राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त मतों के आधार पर विचार करने के बाद उन पर लिए गए निर्णयों को सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस विभाग के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-1), दिनांक 30.12.1988 द्वारा भेजा गया। सुलभ संदर्भ के लिए एक प्रति पुनः संलग्न है।

2. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी बैंकों आदि का ध्यान उक्त निर्णयों में से कुछ की ओर, जिन से उन सभी का संबंध है, एक बार फिर निम्न प्रकार कार्यवाही करने हेतु आकर्षित किया जाता है:—

1 फार्मों का अनुवाद, मुद्रण और प्रयोग [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-1) की मद संख्या 2 (क)i]

संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)(ii) के अन्तर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिंदी में अनुदित कराने तथा दविभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किये जा सकें और भरे जा सकें। सभी मंत्रालय/विभाग कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2 प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-1) की मद संख्या 2 (क) 4]

प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण-सामग्री का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अग्रता के आधार पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इस कार्य को समयबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाये।

इस विषय में राजभाषा विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से दिनांक 11.11.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 13034/50/87-रा॰भा॰ (ग) के द्वारा केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में 1.1.1989 से हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था करने हेतु निदेश जारी किए थे। इसमें सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि केंद्रीय सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों, प्रशिक्षण सामग्री दोनों भाषाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी) में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थियों की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उन्हें उपलब्ध कराई जाएं। इसी का॰ ज्ञा॰ में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद और प्रशिक्षकों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान दिलाने का कार्य 1.1.1989 तक करा लिया जाए।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अपने प्रशिक्षण संस्थानों से उपलब्ध कराई जाने वाले सामग्री के विषय में समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है। साथ ही साथ इस विभाग के उपर्युक्त दिनांक 11.11.1987 के का॰ज्ञा॰ में किए गए प्रावधानों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करें।

3 दविभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰ भा॰ (क-1) की मद सं॰ 2 (ख) 6]

संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की दविभाषिकता नीति के सफल संचालन के लिए लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य पिछड़ने न पाये।

सभी मंत्रालय/विभाग कृपया अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करें।

4 राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा (क-1) की मद सं॰ 2 (ख) 7]

संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों अन्य संस्थानों आदि के देश-विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में, जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है, वहां भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो-जो कार्य दविभाषिक रूप में किये जाने हैं, वे दविभाषिक रूप में ही किया जाये और इसके लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए।

इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 21.2.1976 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/13017/13/75-रा॰भा॰(ग), दिनांक 15.10.1979 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 20013/2/77-रा॰भा॰ (ग) और दिनांक 15.9.1987 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 13035/12/87-रा॰भा॰ (ग) द्वारा यह आदेश जारी किए गए थे कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में जहां अनुवाद के लिए कोई कर्मचारी नहीं है वहां मानदेय के आधार पर अनुवाद कार्य कराया जाए।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

5 अनुवाद संबंधी पदों का सृजन [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क) की मद संख्या 2 (ख) 9]

संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों, विभागों आदि को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है वहां उसके लिए अनुवादक आदि की नियुक्ति करें। इसमें किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था कराई जाये।

अनुवाद से संबंधित पद आसानी से सृजित किए जा सके, इसके लिए राजभाषा विभाग ने दिनांक 13.4.1987 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 13017/1/81-रा॰भा॰ (ग) के द्वारा अनुवादकों आदि द्वारा किए जाने वाले कार्य के मात्रा संबंधी मानकों का पुनर्निर्धारण किया था। तत्पश्चात्, केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए, जिसमें अनुवाद कार्य भी सम्मिलित है, न्यूनतम हिंदी पदों के मानक राजभाषा विभाग के दिनांक 5.4.1989 के का॰ ज्ञा॰ 13035/3/88-रा॰भा (ग) द्वारा पुन: निर्धारित किए गए। राजभाषा से संबंधित पदों के सृजन में कोई अवरोध न हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 8.6.1988 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 10 (4)(स्था॰) सम॰/85 में निदेश जारी किए गए कि राजभाषा संबंधी ऐसे पद, जो कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा पर आधारित हों, उनका सृजन संबंधित विभाग के सचिव अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से कर सकते हैं। जहां तक ऐसे कार्यालयों का संबंध है, जहां 25 से अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हैं, उनमें समुचित अनुवाद की व्यवस्था के संबंध में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 15.9.1987 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 13035/12/87-रा॰भा॰ (ग) द्वारा मानदेय के आधार पर अनुवाद करवाने के बारे में व्यवस्था की गई है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुरूप समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए समुचित कदम उठाए। वे यह भी सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में भी अनुपालन किया जाए।

6 अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना। [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰ भा (क-1) की मद सं 2 (ख) 10]

संसदीय राजभाषा समिति ने विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि के विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यार्थियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए, इसके अतिरिक्त, भर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी तथा हिंदी में उच्च प्रवीणता होने पर विभिन्न राज सेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किये जा सकें।

लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में अनुवादकों सहित हिंदी संबंधी पद केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अन्तर्गत आते हैं। केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अंतर्गत अनुवादकों के भर्ती-नियमों की पुनरीक्षा की गई है। सितम्बर, 1990 में अधिसूचित नियमों के अनुसार अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा के ज्ञान के अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री रखने वाले हिंदी और अंग्रेजी का समुचित ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी अनुवादक नियुक्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवादकों की भर्ती के लिए भी ऐसा ही प्रावधान उपलब्ध है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से बाहर अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में अनुवादकों के भर्ती-नियमों का पुनरीक्षण तथा समिति की सिफारिश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें।

7 कोडों, मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन मुद्रण तथा प्रकाशन और विवरण। [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-1) की मद सं॰ 2 (ग) 12]

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषी मुद्रण प्रकाशन और वितरण के संबंध में सिफारिश की है कि कोड, मैनुअल और फार्म और प्रक्रिया साहित्य के हिंदी और अंग्रेजी पाठ तैयार कराएं जाएं तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ-साथ हो, अब तक अनुदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड, मैनुअल और फार्म हिंदी अनुवाद उपलब्ध होने पर द्विभाषी रूप में तुरन्त मुद्रित/प्रकाशित किए जाए,

मुद्रण-कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से कराया जाए, यदि इसके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गंभीरता से लिया जाए तथा कोड, मैनुअल, अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय समय पर किए जाने वाले संशोधन मंत्रालयों, विभागों आदि और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थाओं आदि में, जहां भी उनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध कराए जाएं, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों, मैनुअलों, फार्मों और अन्य कार्य-विधि साहित्य के अनुवाद, द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी, मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएं।

समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त सिफारिशों के अनुरूप कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य के द्विभाषी रूप में निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन और वितरण की समुचित व्यवस्था करें। अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में भी ऐसी ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि समिति द्वारा अनुशासित समन्वय अधिकारी मंत्रालय/विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष को नामित करें।

8 **एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-1) की मद सं॰ 2 (घ) 17]**

संसदीय राजभाषा समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एंव कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थितियों और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिए इस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वह अपने अपने विभागों में इस प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करें कि इनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में भी ऐसी ही व्यवस्था की जाए।

9 **मूल प्रारूपण [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-1) की मद संख्या 2(क) 20]**

संसदीय राजभाषा समिति ने मूल प्रारूपण के बारे में यह सिफारिश की है कि:-

(क) विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिंदी में लिखे जाए। इस विषय में विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) भविष्य में नये कोड, मैनुअलों आदि का सृजन मूलरूप में हिंदी में किया जाए।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि विभाग तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा निर्धारित सभी नये कोडों, मैनुअलों आदि का सृजन यथासंभव मूल रूप में हिंदी में किया जाए।

10 संदर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण [दिनांक 30.12.1988 के संकल्प सं॰ 1/200-12/1/87रा॰भा॰ (क-1) की मद संख्या-2(ज) 25]

समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद-व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखी जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घ-कालीन तथा अल्प-कालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इस योजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण एंव कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

11 अनुवाद की भाषा का स्वरूप [दिनांक 30.12.88 के संकल्प सं॰ 1/20012/87-रा॰भा॰-(क-1) की मद सं॰ 2 (ञ) 28]

संसदीय राजभाषा समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के संबंध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उसी स्वरूप को अपनाया जाना भारत की अखंडता तथा एकता के हित में है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे अनुवाद की भाषा के स्वरूप के संबंध में समिति की उपर्युक्त सिफारिश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्यक्त निदेशों पर समुचित कार्रवाई करें तथा इन्हें अपने सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाए तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भी भेजे।